

प्रपत्र क्र.-8

**अवकाश यात्रा रियायत/गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी/एच.एल.टी.सी)
अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र**

1. कर्मचारी का नाम :
2. (क) पदनाम :
(ख) स्थाई या अस्थाई :
(यदि स्थाई हो तो किसी स्थाई कर्मचारी की श्योरिटी बाण्ड आवेदन पत्र के साथ लगायें)
3. इकाई कार्यालय, जिससे सम्बद्ध हैं :
4. वर्तमान वेतन श्रेणी में मूल वेतन :
5. विभाग में नियुक्ति की तारीख :
6. गृह नगर, जिसकी घोषणा सेवापंजी में की गई है :
7. पिछले ब्लॉक वर्षों में लिये गये एलटीसी का विवरण :
ब्लॉक वर्ष—
 1. गृह नगर—
 2. भारत में कहीं भी—
 3. पास का रेल्वे स्टेशन
8. ब्लॉक वर्ष, जिसके लिये एलटीसी लेना चाहते हैं :
9. लिया गया अवकाश: आकस्मिक/अर्जित :
अवकाश (छुट्टी का प्रकार लिखें)
10. क्या पहले लिया एलटीसी अग्रिम पूरा चुकता कर दिया है या चुकतरा होना बाकी है? पूर्व प्रकरण के निपटान की तारीख :
11. प्रवास का स्थान (सबसे दूर का स्थान) :
12. जाने की प्रस्तावित यात्रा तारीख :
13. वापसी यात्रा की संभावित तारीख :
14. सुविधा का लाभ उठाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण—

क्रम	नाम	संबंध	आयु	क्या कर्मचारी पर आश्रित हैं ।
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

15. रेल यात्रा में किस दर्जे में यात्रा करना प्रस्तावित :
है
16. वांछित अग्रिम की राशि :
17. कार्यालय का नाम, जिसमें स.क. की पत्नी :
सेवारत है
18. यदि पत्नी एलटीसी या उसी प्रकार की रियायत :
की हकदार है तो क्या यह घोषणा की गई है
कि वह अपने कार्यालय से अपने लिये और
अपने परिवार के लिये एलटीसी का दावा नहीं
करेगा/करेगी ।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

मैं,..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने
जो ब्यौरे दिये हैं, वे सच और सही हैं ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि जिस प्रस्तावित यात्रा के लिये एलटीसी अग्रिम लिया है वह
न कर पाने की स्थिति में अग्रिम की पूरी राशि तत्काल वापस कर दूंगा । मैं यह भी घोषणा
करता हूँ कि समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान के
अलावा किसी अन्य को नहीं जाऊँगा । मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि मैं वापसी यात्रा
अग्रिम की तारीख से 90 दिन के अंदर नहीं कर पाता हूँ तो अग्रिम की आधी राशि वापस कर
दूँगा । मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से 10 दिन के अंदर या
यात्रा प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, जाने की यात्रा के लिये स्वयं/परिवार के सदस्यों
के लिये, जैसी भी स्थिति हों, टिकटों के क्रय इत्यादि का साक्ष्य प्रस्तुत कर दूँगा । मैं इस बात
से अवगत हूँ कि उक्त अपेक्षा को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में अग्रिम की राशिमय
साधारण ब्याज के अतिरिक्त 2.5% की दर से दायिदक ब्याज समेत मेरे आगामी वेतन में से
एकमुश्त वसूल कर ली जायेगी । मैं इस बात से अवगत हूँ कि यदि वापसी यात्रा की तारीख से
एक माह के अंदर एलटीसी बिल प्रस्तुत नहीं करूँगा तो एलटीसी अग्रिम की बकाया राशि
साधारण ब्याज के अतिरिक्त 2.5% की दर से दायिदक ब्याज समेत एकमुश्त मेरे आगामी वेतन से
वसूल की जा सकती है । मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि यदि मैं यात्रा पूरी करने की तारीख
से 3 महीने के अंदर बिल प्रस्तुत नहीं करूँगा तो मेरा दावा निरस्त हो जायेगा । मैं यह भी
समझता हूँ कि यदि एलटीसी स्वयं के लिये लिया गया है तो व्यय की प्रतिपूर्ति तभी संभव है,
जब यात्रा किसी प्रकार का अवकाश लेकर की गई हो, केवल सप्ताहांत की छुट्टियों/अन्य
छुट्टियों/वैकल्पिक छुट्टियों में नहीं ।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

एकक अधिकारी की अभ्युक्तियाँ

अग्रेषित कर्मचारी ने खाना संख्या-9 के अनुरूप आकस्मिक/अर्जित अवकाश के लिये
आवेदन किया और वह मंजूर कर दिया गया है ।

एकक अधिकारी